न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-38/2016

सीतारराम पुत्र मुलाराम जाति सैनी निवासी वार्ड नम्बर-7 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

उम्मेदखा पुत्र आमीन खा जाति कायमखानी निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज0)

---रेस्पोडेन्ट---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15-6-2016 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनू एवं नि0 दिनांक 7-1-2013 द्वारा तहसीलदार मलसीसर ।

---0---

Web Copy Not Official

उपस्थिति-

श्री विजयपाल एडवोकेट- अपीलान्ट

श्री विनोद गिल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 11.6.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने योग्य अदालत तहसीलदार मलसीसर को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मलसीसर में स्थित राजकीय भूमि गत खसरा नं0 466/1 मी0 बजंड भूमि(नया ख0नं0 777 रकबा 28.53 हैक्टर में से 1000 वर्ग मीटर) कब्जा शुद्धा आवासीय गुवाडी का राजकीय फीस ली जाकर पटटा जारी करने हेतु निवेदन किया । जिस पर विद्वान तहसीलदार मलसीसर ने 800 वर्ग मीटर का 2405/-रूपये में जारी कर दिया । इस आदेश से क्षुब्ध होकर सीतारराम पुत्र मूलाराम ने प्रथम अपील

विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां पेश की जिस पर सुनवाई करते हुये विद्वान अदालत मातहत ने यह अपील अपीलान्ट ने किस आधार पर पेश की ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया तथा ना ही अपील के साथ धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया । ना ही अपीलान्ट अदालत मातहत मे प्रार्थना पत्र आ आदेश-1 नियम-10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बना है । इस आधार पर अदालत मातहत में अपीलान्ट की प्रथम अपील पेश कर दी जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत के निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय अवैधानिक तरीक से पारीत कर कानून को नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत तहसीलदार मलसीसर ने रेस्पोडेन्ट के हक में सरकार के परिपत्र संख्या-एफ-6(10)राज/(ग्रुप)-4) 77 दि 24-7-1977 एवं परिपत्र सं0-9(6)राज-6/2000-16 के आधार पर नियमन करना बताया है । उनके तहत तहसीलदार को उक्त आराजी को नियमन करने का हक अधिकार(क्षेत्राधिकार) नहीं है ।उक्त परिपत्रों के तहत नियमन की कार्यवाही नियम विरूद्ध की गई है ।रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने उक्त आराजी में से पट्टा लेने का आवेदन पेश किया जिसके कब्जे के समर्थन में स्वयं का तथा लियाकत खां, रतन लाल शर्मा, अयुब इत्यादी के शपथ पत्रों को पेश किया किन्तु किसी भी शपथ पत्र में प्लाट की लम्बाई चौडाइ नहीं दर्ज की है । तथा ना ही हदूद दर्ज की गई । भौतिक कब्जे के बाबत ना तो स्वयं ने मौका देखा और ना ही पटवारी हल्का से मौके की जांच करवाई । बिना कब्जा की भौतिक जांच करवाये आदेश पारित किया गया है ।ख0नं0 777 पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा नहीं है ।इस बिन्दू को दोनो अदालत मातहत ने नजर अन्दाज कर आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्ट तथाकथित नियमन व सनद के आधार पर जमीन हाल खसरा नम्बर 774 के 800 वर्गमीटर क्षेत्र को क्लेम कर रहा है। उसके भू-भाग पर अपीलान्ट काबिज है और रेस्पोडेन्ट का पुराना कब्जा जमीन ख0नं0 777 पर नहीं है। रेस्पोडेन्ट ख0नं0 774 पर काबिज है । जबकि सनद ख0नं0 777 का प्राप्त किया है ।रेस्पो0 ने अदालत मातहत तहसीलदार मलसीसर से पूर्व में जारी पट्टे व बेचानी के

मुकदमों को छिपाया है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में आदेश-। नियम 10 सीपीसी का हवाला दिया है जो गलत है । इस प्रकरण में आदेश-। नियम 10 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।अदालत मातहत ने अपील के साथ धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र नहीं होने से भी अपील को खारिज किया है ।राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 के मामलो में दफा-96 सीपीसी के प्रावधान लागु नहीं होते है । अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।योग्य अदालत मातहत तहसीलदार मलसीसर ने भी अपने आदेश में लम्बाई चौडाई का कोई उल्लेख नहीं किया है और जो हदूद दर्ज की है वो ख0नं0 774 की है । खसरा नम्बर 777 पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है ।अदालत मातहत का निर्णय तथ्यों के विपरित है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत तहसीलदार मलसीसर ने रेस्पोडेन्ट को ख0नं0 777 में से सनद जारी करने में कानूनी भूल की है । रेस्पोडेन्ट का ख0नं0 777 पर कोई कब्जा नहीं है और कब्जे के बाबत तहसीलदार ने स्वयं ने अथवा पटवारी हल्का से कोई जांच नही करवाई अर्थात बिना मौके की भौतिक जांच किये बिना आदेश पारित किया है। जिन परिपत्रों का हवाला देकर आदेश पारित किया है उनके तहत तहसीलदार को पटटा जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है ।राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अदालत मातह-त में जो पक्षकार नहीं है वह अपील कर सकता है उसे दफा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है । तहसीलदार के यहा मैने आदेश-। नियम- 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया था । वैसे भी कानून राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-76 मे सीपीसी के प्रावधान

पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जैसा आरआरडी 2008 पेज 850(फूल बेंच) आरआरडी 1962 पेज 206(फूल बेंच)आरबीजे 2016 पेज 547 में स्पष्ट किया अदालत मातहत में मुझे पक्षकार नहीं बनाया गया है तो भी मैं बिना धारा-96 सीपीसी के अपील पेश कर सकता हूँ । किन्तु अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोंडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में जो पक्षकार नहीं है वह अपील कर सकता है किन्तु उसे अपील पेश करने से पूर्व दफा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील की अनुमति के लिये पेश करना आवश्यक है ।अपीलान्ट ने अदालत मातहत में धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जबकि कानून में यह स्पष्ट है कि थ्रर्ड पार्टी बिना 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के अपील पेश नहीं कर सकती । अपीलान्ट अदालत मातहत मे न तो पक्षकार था और ना ही उसने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट बिना दफा-96 सीपीसी प्रार्थना पत्र के बिना अपील पेश नहीं कर सकता जैसा आरआरटी 2006(1) पेज 661 एवं आरआरटी 2012(1) पेज 374 पेश की है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट की अपील को धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण अपील खारिज की है ।अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । तहसीलदार ने मौके की जांच कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्रों पर विश्वास करते हुये राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो के परिप्रेक्ष्य में सनद जारी की है । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश-4। नियम-27 सीपीसी के साथ जो मौका रिपोर्ट पेश की है वह रेस्पोंडेन्ट को सनद जारी की उससे अलग है । ख0नं0 777 का रकबा काफी बडा है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान तहसीलदार मलसीसर के यहां रेस्पोंडेन्ट उम्मेद अली ने ख0नं0 466/1 हाल

के सबूत पेश करने के निर्देश दिये । राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत उम्मेद खा को वर्ष 2055 में ख0नं0 466/1 पर पक्की इंटो का टिन सैट का मकान व डोल लगाकर बाडा बनाकर अतिक्रमण का नोटिस दि0 7-12-1998 की पेशी के लिये जारी किया । सरपंच, पंचायत समिति मलसीसर ने दिनांक 15-6-1990 को पटटा जारी किया जिसकी फोटो प्रति पेश की जो उम्मेद खा के नाम से जारी किया गया । नायब तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 6-4-1999 में उम्मेद खां को 150 वर्गगज के पटटे के अलावा भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये हैं ।धारा-91 का नोटिस दिनांक 24-8-2005 में भी ख0नं0 466/1 में से 1000 वर्गमिटर पर अतिक्रमण का नोटिस दिया है । नकल दायर रजिस्टर धारा-91 में ख0नं0 466/1 में 315 वर्गगज पर अतिक्रमण बताया है ।तहसीलदार ने रेस्पोडेन्ट को 800 वर्ग मीटर का पटट(सनद) जारी की है जिसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं है ।तथा ना ही अपीलान्ट ने तहसीलदार के यहा आदेश-1 नियम-10 सीपीसी का पक्षकार बनने का कोई प्रार्थना पत्र पेश किया । अपीलान्ट ने तहसीलदार मलसीसर के आदेश के विरूद्ध विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां प्रथम अपील पेश की जिसके साथ दफा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। इस पर अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट विवादित आराजी से किस प्रकार से प्रभावित है ऐसा कोई साक्ष्य अपील में पेश नहीं किया । जिससे अदालत मातहत ने अपीलान्ट की प्रथम अपील को दफा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर अपील खारिज की है । विद्वान वकील अपीलान्ट ने प्रस्तुत नजीरों में स्पष्ट किया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत धारा-76 की अपील मे धारा-96 सीपीसी की कोई आवश्यकता नहीं है ।विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों के तथ्य भिन्न है ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट की प्रथम अपील को विद्वान तहसीलदार के यहां पक्षकार नहीं होने पर दफा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के अभाव मे खारिज की है जो विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश प्रस्तुत नजीरों के द्वारा स्पष्ट है कि कोई पार्टी बिना दफा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र

के बिना अपील पेश नहीं की जा सकती । पत्रावली का अवलोकन करने पर योग्य अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान अतिरक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 15-6-2016 एवं विद्वान तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 7-1-2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 11.6.2018 को सुनाया गया ।

11/6/18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर